THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MENKA GANDHI): (a) to (c) Yes, Sir. It is a fact that a number of children are engaged in the practice of begging. While no formal all India assessment has been undertaken by the Government to ascertain the total number of children engaged in begging, a number of State Government's and Union Territory Administrations have enacted their own legislations to prevent beggary and rehabilitate beggars. Under the Juvenile Justice Act 1986, a Central Act, also provisions exist for beggary prevention and for the care, protection and rehabilitation of children found begging. The different State Governments and Union Territory Administrations have established a country wide infrastructure to support implementation of the Act.

मानसिक विकलांग गृहों की स्थिति

1632. **श्री रामजीलाल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में चल रहे मानसिक विकलांग गृहों की स्थिति की जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अगस्त, 1998 के राष्ट्रीय सहारा में "बेबसी में दुत्कारे गए, बेबसी में मारे गए" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अवन्तिका मानसिक विकलांग गृह रोहिणी में कितनी मौतें हुई और कितने बीमार हुए; और

(ङ) उसके क्या कारण थे और सरकार द्वारा इस प्रकार की गलतियों के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मंगाई गई है।

Plans to Spread Literacy among Women of Backward Classes

1633. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Hindustan Times, dated the 3rd November, 1998 captioned "Ministries slug it out over literacy plan" of Rs. 250 crore intended to spread literacy among women of backward communities in the country;

(b) if so, the budgetary allocations made by Government for the last three years and the expenditure incurred thereon year-wise and State-wise in this regard;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) Government's solutions/attitude in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) An allocation of Rs. 250 crore was made in B.E. 1997-98 for the Kasturba Gandhi Swatantrata Vidyalaya Scheme, and this has been carried forward in B.E. 1998-99. No expenditure has been incurred out of the Budget allocation.

(c) and (b) The scheme is under process for obtaining final approval of Government for its various elements and for deciding on the Ministry/Department which should take up its implementation.

TSP in the Tribal Areas of Gujarat

1634. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the Tribal Sub-Plan (TSP) for the economic development in the tribal areas of Gujarat is being implemented by Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have assessed the progress mad by TSP in the tribal areas of Gujarat;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the other measures Government propose to initiate to improve the lot of tribals in Gujarat?

THE MINISTRY OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) In the State of Gujarat, the TSP is being implemented since Fifth Five Year Plan through 9 Integrated Tribal Development Projects covering 8 districts and 33 Talukas.

(c) and (d) At the instance of M/o Welfare (now M/o SJ&E) the Programme Evaluation Organisation (PEO) of the Planning Commission undertook the evaluation study of the ITDPs in July, 1997, to assess the effectiveness and performance of Planning and Monitoring arrangements and of the impact of the programmes on the well being of Scheduled Tribes. The study was carried out in seven States which constitute the Central Tribal Belt (CTB), including Gujarat.

(e) A new scheme for accelerated socio-economic development of Primitive Tribal Group has been started during this year.

कल्याण योजनाओं की समीक्षा

1635. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उनकी अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे में क्षेत्र संबंधी कल्याण योजनाओं के बारे में "विशेष समीक्षा सप्ताह" मनाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तरांचल क्षेत्र के लिए कुछ नयी योजनाओं की घोषणा की है; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की कल्याण योजनाओं की समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में "सामाजिक — आर्थिक विकास परिप्रेक्ष्य" विषय पर दिनांक 23.11.1998 से 24.11.1998 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

इस कार्यशाला में विचार विमर्श इस मंत्रालय की विभिन्न कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाने वाले अपेक्षित उपायों की प्रगति पर केन्द्रित थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उत्तरांचल क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों की कोई विशेष समीक्षा नहीं की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानदंडों तथा प्रक्रियाओं में अपेक्षित लचीलापन, खुलापन तथा सरलीकरण लाने के उद्देश्य से अपनी सभी कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों की सामान्य समीक्षा शुरू कर दी है।

"बाल यातना गृह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1636. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर, 1998 के "जनसत्ता" में "बाल यातना गृह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सच है कि राज्यों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपेक्षित और अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास तथा पुनर्वास के लिए स्थापित कुछ गृहों की दशा पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। इस मंत्रालय की किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण संबंधी योजना के अन्तर्गत इन गृहों की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। इन गृहों की दशा को